राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्र./एन.एच.एम./आशा/2015/ भोपाल, दिनांक / /2015

प्रति,

समस्त,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय–जिला में आशा प्रशिक्षण (मॉड्यूल 6 एवं 7) के संबंध में। (संशोधित पत्र)
संदर्भः–राज्य कार्यालय द्वारा जारी पत्र क्र./एन.एच.एम./आशा/2015/4574 भोपाल, दिनांक 29/04/2015 के संदर्भ में।

विषयांतर्गत लेख है कि वर्ष 2015–16 में आशा मॉड्यूल 6 एवं 7 का प्रशिक्षण जिलों में आयोजित किया जाना है।

प्रशिक्षण आयोजित करने से पूर्व निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करेः–

1. प्रशिक्षण में भेजने के पूर्व यह देखा जाना आवश्यक है कि आशा प्रशिक्षण लेने योग्य है कि नहीं?
2. आशायें जिन्हें प्रशिक्षण में उपस्थित होना है उन्हे 1 सप्ताह पूर्व सूचित करें।
3. आवश्यकतानुसार जिले/ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है।
4. प्रशिक्षण हेतु स्थल यदि शासकीय हो तो उसका उपयोग किया जाना ज्यादा उचित होगा।
5. आशाओं के आवास व्यवस्था में सुरक्षा, बिजली पानी आदि बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखा जायें।
6 .भोजन व्यवस्था ठीक प्रकार से की जाये।
7. आशाओं को प्रथम दिवस प्रातः 9 बजे आने एवं अंतिम दिवस शाम 5 बजे तक प्रशिक्षण पूर्ण कर छोड दिया जाये।
8. प्रशिक्षण सामग्री रजिस्ट्रेशन के साथ ही आशाओं को दिये जायें।
9. आशा प्रशिक्षण की जिम्मेदारी DCM/BCM की है, अतः जिले में आयोजित बैचेस की मानिटरिंग का कार्य CMHO/DPM/DCM/ इंचार्ज अधिकारी द्वारा किया जाये।
10. प्रशिक्षण की पूर्ण सूचना राज्य स्तर पर भी दी जाये जिससे राज्य स्तर से भी प्रशिक्षण की मानिटरिंग की जा सकें।
11. प्रति बैच प्रशिक्षण में 3 ट्रेनर का प्रावधान है। ट्रेनर की यह जिम्मेदारी है कि आशाओं को प्रशिक्षण के समय मॉड्यूल में प्रदाय की गई समस्त सामग्री आशायें समझ सकें एवं उनका स्किल डेवेलपमेंट हो सके। प्रशिक्षण में गुणवत्ता का ध्यान रखा जायें। अनावश्यक विषयों से समय खराब न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाये।
12. आशा मॉड्यूल 6 एवं 7 के शासकीय जिला प्रशिक्षकों को प्रथम एवं द्वितीय चरण में प्रशिक्षक के रूप में शामिल किया जाये।
13. प्रशिक्षण के समय प्रशिक्षण सामग्री, स्किल प्रैक्टिस, छोटे ग्रुप बनाकर डिस्कशन्स, छोटे एसाइनमेंट दिये जाऐं जिससे प्रशिक्षण सरस बना रहेगा।

14. प्रशिक्षण में क्वालिटी का ध्यान रखा जाना सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अनुभवी एवं जिनकों प्रशिक्षण प्रदाय करने में अच्छी पकड़ हो उन्हें ही ट्रेनर बनाया जायें। प्रशिक्षण पूर्व, व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जायें। ट्रेनिंग मटेरियल में सभी विषय कवर किये जायें।
15. Pre – post training evalution एवं documentation अवश्य किया जाये।
16. प्रशिक्षण में व्यय की गई राशि original bills जिलें में प्रस्तुत किये जायें जिससे भुगतान में परेशानी ना हों।
17. भारत सरकार से प्राप्त गाइडलाइन (community process) के अनुसार प्रशिक्षण के दिशा निर्देश तैयार किये गये है। प्रशिक्षण संबंधी समस्या अपने स्तर से निराकृत करने का प्रयास करें। यदि संभव ना हो तो राज्य स्तर पर Justificate के साथ सूचित करें, जिससे निराकरण किया जा सकें।
18. आशा प्रशिक्षण पिछले 3–4 वर्षो से निरंतर चल रहा है अतः पूर्व में उपयोग की गयी प्रशिक्षण सामग्री का इस वर्ष उपयोग हो।
19. जिले में उपलब्ध सभी trainer को उपयोग करें।
20. पिछले वर्षो में आयोजित प्रशिक्षणों में विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई है, अतः प्रशिक्षण ठीक प्रकार से आयोजित किये जाये। आशाओं को जारी पत्र में प्रशिक्षण के प्रथम दिवस समय पर उपस्थित होने हेतु अनिवार्य रूप से कहा जाये।
21. जिन आशा/आशा सहयोगी का प्रशिक्षण नही हुआ है, केवल उन्ही आशा/आशा सहयोगी को ही शामिल किया जाये, एक ही प्रशिक्षण चक्र का दोबारा प्रशिक्षण नही दिया जाये।
22. बैच साइज कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थिति होने पर ही प्रारम्भ किया जाये।
23. प्रशिक्षण हेतु आशा मॉड्यूल 6 एवं 7 की पुस्तक जिलों को पूर्व में उपलब्ध कराई जा चुकी है।
24. प्रशिक्षण का पूर्ण दायित्व जिला कम्युनिटि मोबलाइजर/जिला कार्यक्रम प्रबंधक का होगा। अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण हेतु पूर्व में ही तैयारी रखी जाये।
25. जिलों में आयोजित आशा प्रशिक्षण से संबंधित दस्तावेज जैसे Pre – post training evalution, आशाओं का पंजीयन रिकार्ड, आशाओं की डायरी इत्यादि जिला कार्यालय में चक्र के अनुसार व्यवस्थित रखे जाये। ताकि आशाओं के सर्टिफिकेशन करने में आसानी होवे।
26. आशा प्रशिक्षण हेतु माहवार अग्रिम कार्ययोजना की स्वीकृति जिला कार्यालय द्वारा दी जावेगी एवं उसकी एक प्रति राज्य कार्यालय को समय पूर्व प्रस्तुत की जाये, ताकि गुणवत्ता बरकरार रखने हेतु राज्य, आशा रिर्सोस सेन्टर के अधिकारी/सलाहकार द्वारा निरीक्षण किया जा सके।
27. आशा प्रशिक्षण के समस्त चक्र (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, रिफ्रेशर एवं चतुर्थ चक्र) के प्रारम्भ के दो बैच राज्य प्रशिक्षकों द्वारा ही कराया जाना है। अतः योजना तैयार करते समय यह स्पष्ट रूप से अंकित करे कि किस दिनांक को प्रथम एवं द्वितीय बैच का आयोजन किया जाना है। प्रत्येक चक्र का प्रारम्भ केवल एक बैच से करे तथा समस्त जिला प्रशिक्षक उसमें उपस्थित रहे। उसके बाद समानांतर रूप से एक से अधिक बैच किये जा सकते है।
28. जिन जिलों में वर्तमान समय में जिला कम्युनिटि मोबलाइजर नही है उन जिलों में आवश्यकतानुसार राज्य प्रशिक्षकों/आशा प्रशिक्षण समन्वयक/जिला मीडिया अधिकारी द्वारा सहयोगात्मक निरीक्षण एवं भ्रमण किया जावेगा।
29. बजट कोड–आशा मॉड्यूल 6 एवं 7 (1 से 4 चरण) तक गतिविधि एफएमआर कोड बी बी 1.1.1.2 है, तथा रिफ्रेशर हेतु गतिविधि एफएमआर कोड बी 1.1.1.2 बैच आयोजन के बाद एफएमआईएस मे बुकिंग करे –

    (अ)– आशा मॉड्यूल 6 एवं 7 (प्रथम चक्र)– गतिविधि क्रमांक बी 1.1.1.2
    (ब)– आशा मॉड्यूल 6 एवं 7 (द्वितीय चक्र)– गतिविधि क्रमांक बी 1.1.1.2
    (स)– आशा मॉड्यूल 6 एवं 7 (तृतीय चक्र)– गतिविधि क्रमांक बी 1.1.1.2

(द)– आशा मॉड्यूल 6 एवं 7 (रिफ्रैशर चक्र – गतिविधि क्रमांक बी 1.1.1.3.1

(इ)– आशा मॉड्यूल 6 एवं 7 (चतुर्थ चक्र)– गतिविधि क्रमांक बी 1.1.1.2

30. नोटः– दिनांक 1 अप्रैल 2015 से 29 मई 2015 तक संचालित आशा मॉड्यूल 6 एवं 7 (प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं रिफ्रैशर प्रशिक्षण) बैचो को भी जिलों को दिये गये वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु अनुमोदित बैच में शामिल किया जाये।

संलग्न –जिले को बैच की जानकारी

(फैज अहमद किदवई)
मिशन संचालक,
एन.एच.एम., मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./आशा/2015/ भोपाल,दिनांक................../2015

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ–

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, म.प्र. शासन, भोपाल।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र. शासन, भोपाल।
3. संचालक, एनएचएम, मध्यप्रदेश।
4. संचालक, वित्त, एनएचएम, मध्यप्रदेश।
5. समस्त कलेक्टर जिला मध्यप्रदेश।
6. आशा प्रशिक्षण में संलग्न स्वयं सेवी संस्था द्वारा संबंधित जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।

मिशन संचालक,
एन.एच.एम., मध्यप्रदेश